

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 322]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 29, 2019/ज्येष्ठ 8, 1941

No. 322]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 29, 2019/JYAISTHA 8, 1941

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मई, 2019

सा.का.नि. 383(अ).—केन्द्रीय सरकार, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को हरियाणा राज्य में यथा-प्रवृत्त भारतीय दण्ड संहिता (हरियाणा संशोधन) अधिनियम, 2014 (2015 का हरियाणा अधिनियम संख्या 18) निम्नलिखित उपांतरणों के अधीन रहते हुए, चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र को विस्तारित करती है, अर्थात् :—

उपांतरण

भारतीय दण्ड संहिता (हरियाणा संशोधन) अधिनियम, 2014 में,-

- (क) धारा 1 में, "2014" अंकों के पश्चात "संघ राज्यक्षेत्र चंडीगढ़ को यथा-विस्तारित" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे;
- (ख) धारा 2 में, "हरियाणा राज्य" शब्दों के स्थान पर "संघ राज्यक्षेत्र चंडीगढ़" शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. यू-11020/2/2018-यूटीएल]

गोविंद मोहन, अपर सचिव

उपाबंध

हरियाणा सरकार

विधायी विभाग

अधिसूचना

9 अक्टूबर, 2015

संख्या लैज/25/2015.—हरियाणा राज्य विधानमण्डल के निम्नलिखित अधिनियम को तारीख 3 सितम्बर, 2015 को राष्ट्रपति की अनुमित प्राप्त हुई और एतदद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है।

2015 का हरियाणा अधिनियम संख्या 18

2678 GI/19--

भारतीय दण्ड संहिता (हरियाणा संशोधन) अधिनियस, 2014

भारतीय दण्ड संहिता,1860 हरियाणा राज्यार्थ,

को आगे संशोधित करने के

लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो :—

- यह अधिनियम भारतीय दण्ड संहिता (हिरयाणा संशोधन) अधिनियम, 2014 कहा जा संक्षिप्त नाम सकता है।
- 2. भारतीय दण्ड संहिता,1860 हरियाणा राज्यार्थ में धारा 379 के बाद निम्नलिखित 1860 के केंद्रीय अधिनियम 45 में धाराएँ रखी जाएंगी, अर्थात:— धारा 379 क तथा 379 ख का रखा जाना।
 - **"379 क. छीनना. (1)** जो कोई, चोरी करने के आशय से, किसी चल संपत्ति को किसी व्यक्ति से या उसके कब्जे से अचानक झपटता है या तेजी से दबाता है या बलपूर्वक छीनता है या ले जाता है, और ऐसी संपत्ति सहित भागता है या भागने का प्रयास करता है, तो उक्त को छीनना कहा जाता है।
 - (2) जो कोई, छीनने का कार्य करता है, तो वह ऐसी अवधि जो पाँच वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो दस वर्ष तक बढ़ायी जा सकती है, के लिए कठोर कारावास से दंडनीय होगा और पच्चीस हजार रुपए के जुर्माने का भी दायी होगा।
 - 379 ख. उपहित या सदोष अवरोध या उपहित के डर सिहत छीनना जो कोई, छीनने के क्रम में, या छीनने के कार्य में, उपहित या सदोष अवरोध या उपहित का डर दिखाता है,या छीनने का अपराध करने के बाद, अपने बचाव में उपहित या सदोष अवरोध या उपहित का डर दिखाता है, तो वह ऐसे कठोर काराबास जो दस वर्ष से कम नहीं होगा किन्तु जो चौदह वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, से दंडनीय होगा और पञ्चीस हजार रुपए के जुर्माने का भी दायी होगा"।

कुलदीप जैन, सचिव, हरियाणा सरकार, विधि तथा विधायी विभाग।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th May, 2019

G.S.R. 383(E).—In exercise of the powers conferred by section 87 of the Punjab Reorganisation Act, 1966 (31 of 1966), the Central Government hereby extends to the Union Territory of Chandigarh, the Indian Penal Code (Haryana Amendment) Act, 2014 (Haryana Act No. 18 of 2015), as in force in the State of Haryana on the date of publication of this notification, subject to the following modifications, namely:—

MODIFICATIONS

In the Indian Penal Code (Haryana Amendment) Act, 2014,-

- (a) in section 1, after figures "2014", the words "as extended to the Union Territory of Chandigarh", shall be inserted;
- (b) in section 2, for the words "State of Haryana", the words "Union Territory of Chandigarh" shall be substituted.

[F. No. U-11020/2/2018-UTL]

GOVIND MOHAN, Addl. Secy.

ANNEXURE

HARYANA GOVERNMENT

LEGISLATIVE DEPARTMENT

NOTIFICATION

The 9th October, 2015

No. Leg. 25/2015.- The following Act of the Legislature of the State of Haryana received the assent of the President of India on the dated 3rd September, 2015, and hereby publish for general information:-

HARYANA ACT NO. 18 OF 2015

The Indian Penal Code (Haryana Amendment) Act, 2014

AN

ACT

further to amend the Indian Penal Code, 1860, in its application to the

State of Haryana.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Sixty-fifth Year of the Republic of India as follows:-

This Act may be called the Indian Penal Code (Haryana Amendment) Act, 2014.

Short title

2. In the Indian Penal Code, 1860 in its application to the State of Haryana, after Section 379, the following sections shall be inserted, namely:-

Insertion of Section 379-A and 379-B in Central Act 45 of 1860

- "379-A. Snatching. (1) Whoever, with the intention to commit theft, suddenly or quickly or forcibly seizes or secures or grabs or takes away from any person or from his possession any moveable property, and makes or attempts to make escape with such property, is said to commit snatching.
- (2) Whoever, commits snatching, shall be punished with rigorous imprisonment for a term, which shall not be less than five years but which may extend to ten years, and shall also be liable to fine of rupees twenty five thousand.
- 379-B. Snatching with hurt, wrongful restraint or fear of hurt. Whoever, in order to commit snatching, or in committing the snatching, causes hurt or wrongful restraint or fear of hurt; or after committing the offence of snatching, causes hurt or wrongful restraint or fear of hurt in order to effect his escape, shall be punished with rigorous imprisonment which shall not be less than ten years but which may extend to fourteen years, and shall also be liable to fine of rupees twenty five thousand".

KULDIP JAIN, Secy. to Government Haryana, Law and Legislative Department.